



**CHETANA**  
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal  
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor  
SJIF 2026-8.584



Prof. A.P. Sharma  
Founder Editor, CIJE  
(25.12.1932 - 09.01.2019)

**हिंदी और उर्दू: एक भाषा, दो मानकीकृत शैली—ऐतिहासिक और साम्प्रदायिक संघर्षों की परिणति**

**अश्विनी कुमार "सुकरात"**

सहायक प्रोफेसर (शिक्षा)

महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन

दिल्ली विश्वविद्यालय

Email- ashwini.edu21@gmail.com, Mobile-9643273515

First draft received: 07.02.2026, Reviewed: 09.02.2026

Final proof received: 11.02.2026, Accepted: 15.02.2026

#### शोध सारंश

यह शोध-पत्र हिंदी और उर्दू को दो पूर्णतः पृथक भाषाओं के रूप में नहीं, बल्कि **हिंदुस्तानी के दो मानकीकृत रजिस्टर** के रूप में समझने का प्रस्ताव रखता है। इस दृष्टिकोण का आधार यह है कि दोनों भाषाओं की वाक्य-रचना, व्याकरणिक संरचना, क्रिया-प्रणाली और सामान्य बोलचाल का आधार व्यापक रूप से साझा है, जबकि उनका प्रमुख अंतर उच्च रजिस्टर की शब्दावली, लिपि और औपचारिक मानकीकरण में अधिक स्पष्ट होता है (Misra Sharma, 2012; Prasad & Virk, 2012)।

अध्ययन दस्तावेज़ी विश्लेषण और लक्षित साहित्य-समीक्षा पर आधारित है। इसमें गांधी के भाषा-विचार, संविधान सभा की बहसें, संविधान के भाषा-संबंधी अनुच्छेद, राजभाषा अधिनियम 1963, तथा कुछ प्रमुख भाषावैज्ञानिक और समाजभाषावैज्ञानिक स्रोतों को साथ पढ़कर विश्लेषित किया गया है (Gandhi, 1925, 1947; Constituent Assembly of India, 1946, 1949a, 1949b)। इस विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि बोलचाल की साझा हिंदुस्तानी धारा को संवैधानिक केंद्र में बनाए रखने के बजाय देवनागरी हिंदी को राजभाषा के रूप में संस्थागत किया गया और उसके विकास की दिशा को मुख्यतः संस्कृत की ओर उन्मुख किया गया।

इसी के साथ अंग्रेज़ी विधि, न्यायपालिका और उच्च प्रशासन में प्रभावी बनी रही, जिससे एक ओर व्यापक जन-बोधगम्यता का प्रश्न उभरता है और दूसरी ओर अंग्रेज़ी की संस्थागत श्रेष्ठता भी मजबूत होती दिखाई देती है (Ministry of External Affairs, n.d.; Department of Official Language, n.d.; Department of Justice, Government of India, 2022)। इस प्रकार हिंदी-उर्दू का प्रश्न केवल भाषिक भिन्नता का विषय नहीं रह जाता; यह मानकीकरण, राज्य की भाषा-नीति, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक संप्रेषण की संरचना से भी गहराई से जुड़ जाता है।

**मुख्य शब्द :** हिंदुस्तानी; हिंदी-उर्दू; मानकीकृत रजिस्टर; लिपि-राजनीति; राजभाषा-नीति; भारतीय संविधान; अनुच्छेद 343; अनुच्छेद 351; अनुच्छेद 348; अंग्रेज़ी की संरचनात्मक निरंतरता; भाषा-मानकीकरण; लोकतांत्रिक।

#### प्रस्तावना

भारत में हिंदी और उर्दू को दो अलग भाषाओं के रूप में देखने की धारणा इतनी व्यापक हो चुकी है कि उसे अक्सर स्वाभाविक मान लिया जाता है। परंतु यह विभाजन मूलतः **भाषावैज्ञानिक, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक** नहीं, बल्कि **ऐतिहासिक-साम्प्रदायिक-राजनीतिक संघर्षों** की प्रक्रियाओं से निर्मित हुआ है। भाषा की वास्तविक संरचना केवल शब्द-स्रोत या लिपि से निर्धारित नहीं होती; उसका आधार वाक्य-रचना, व्याकरणिक ढाँचा, क्रिया-प्रणाली, सर्वनाम-व्यवस्था और दैनिक संप्रेषण की संरचना में निहित होता है। इसी संरचनात्मक कसौटी पर हिंदी और उर्दू का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों का व्याकरणिक आधार व्यापक रूप से साझा है, जबकि भिन्नता मुख्यतः औपचारिक शब्दावली, लिपि और मानकीकरण की दिशा

में तीखी हो जाती है (Misra Sharma, 2012; Prasad & Virk, 2012)। इस दृष्टि से हिंदी और उर्दू को दो पूर्णतः पृथक भाषाओं की बजाय **हिंदुस्तानी की साझा बोलचाल-परंपरा के दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्टर** के रूप में समझना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

यह प्रश्न केवल भाषिक संरचना का नहीं है; इसका संबंध राज्य, भाषा-नीति और संस्थागत वैधता से भी है। भारत में किस भाषा-रूप को राजकीय मान्यता मिली, किस भाषा-रूप को साझा सामाजिक व्यवहार के बावजूद हाशिए पर धकेला गया, और किस भाषा ने प्रशासन, विधि तथा उच्च संस्थागत क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखी—ये सभी प्रश्न भाषा की राजनीतिक संरचना को उजागर करते हैं। संविधान सभा की प्रारंभिक कार्यवाही में हिंदुस्तानी को रिकॉर्ड और संप्रेषण की भाषा के रूप में स्थान

मिलता है, किंतु आगे चलकर संविधान ने देवनागरी हिंदी को राजभाषा के रूप में संस्थागत किया, जबकि अंग्रेज़ी को भी प्रशासन, विधि और न्यायिक क्षेत्रों में प्रभावी बनाए रखा (Constituent Assembly of India, 1946; Ministry of External Affairs, n.d.; Department of Official Language, n.d.)। परिणामस्वरूप भाषा-नीति का संस्थागत ढाँचा एक ऐसी संरचना में विकसित हुआ जिसमें हिंदी का मानकीकरण संस्कृत-आधारित शब्दावली की दिशा में बढ़ा और अंग्रेज़ी उच्च प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थिर बनी रही।

इस प्रकार हिंदी-उर्दू का प्रश्न केवल भाषिक भिन्नता का प्रश्न नहीं रह जाता। यह मानकीकरण की दिशा, राज्य की भाषा-नीति, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक बोधगम्यता के प्रश्नों से जुड़ जाता है। इसी संदर्भ में यह लेख हिंदी और उर्दू के संबंध को भाषिक विभाजन की बजाय हिंदुस्तानी की साझा संरचना और उसके दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्ट्रों के रूप में पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करता है, ताकि भाषा, राज्य और सामाजिक संप्रेषण के संबंध को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

**साझा व्याकरणिक आधार → औपचारिक शब्दावली और लिपि में विभाजन → साम्प्रदायिक-ऐतिहासिक-राजनीतिक संघर्षों से मानकीकरण → संविधान में देवनागरी हिंदी का संस्थाकरण → अंग्रेज़ी की प्रशासनिक निरंतरता → हिंदुस्तानी के दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्ट्रों का उभरना पद्धति और दृष्टि**

यह अध्ययन मुख्यतः **दस्तावेज़ी विश्लेषण (documentary analysis)** और **लक्षित साहित्य-समीक्षा (targeted literature review)** की पद्धति पर आधारित है। विश्लेषण के प्राथमिक स्रोतों में गांधी के भाषा-विषयक लेख, संविधान सभा की 1946 और 1949 की बहसों, भारतीय संविधान का भाग XVII, राजभाषा अधिनियम 1963, तथा न्याय विभाग की वे आधिकारिक व्याख्याएँ शामिल हैं जो न्यायपालिका में अंग्रेज़ी के उपयोग की वर्तमान संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करती हैं (Gandhi, 1925, 1947; Constituent Assembly of India, 1946, 1949a, 1949b; Ministry of External Affairs, n.d.; Department of Official Language, n.d.; Department of Justice, Government of India, 2022)। ये स्रोत भाषा-नीति के उस संस्थागत ढाँचे को समझने में सहायता करते हैं जिसके माध्यम से राजकीय मानकीकरण और प्रशासनिक व्यवहार के बीच संबंध निर्मित हुआ।

द्वितीयक स्रोतों में हिंदी-उर्दू की साझा व्याकरणिक संरचना पर भाषावैज्ञानिक अध्ययन, हिंदुस्तानी की ऐतिहासिक प्रकृति पर विवरण, तथा भाषा, शिक्षा और सामाजिक असमानता के संबंध पर केंद्रित अकादमिक लेख शामिल किए गए हैं (Britannica Editors, n.d.; Misra Sharma, 2012; Mohanty, 2009/2015; Prasad & Virk, 2012)। इन स्रोतों का उपयोग इस उद्देश्य से किया गया है कि हिंदी-उर्दू संबंध को केवल शब्दावली या लिपि के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी साझा भाषिक संरचना और ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में समझा जा सके।

इस पद्धति का उद्देश्य मात्र स्रोत-संग्रह प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि यह विश्लेषित करना है कि **भाषिक संरचना, ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक मानकीकरण** परस्पर किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इसी दृष्टि से अध्ययन भाषिक तथ्य, ऐतिहासिक बहस और नीति-निर्माण के दस्तावेज़ों को एक साथ पढ़ते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के बीच

संबंध को राज्य, समाज और भाषा-मानकीकरण की प्रक्रियाएँ किस प्रकार रूपांतरित करती हैं।

**दस्तावेज़ी स्रोत (गांधी, संविधान सभा, राजभाषा अधिनियम) → भाषावैज्ञानिक अध्ययन (हिंदी-उर्दू साझा संरचना) → ऐतिहासिक विकास का पुनर्पाठ → संवैधानिक मानकीकरण का विश्लेषण → भाषा, राज्य और सामाजिक असमानता के संबंध की व्याख्या**

**साझा व्याकरण, अलग रजिस्टर**

हिंदी और उर्दू के संबंध को समझने का सबसे ठोस आधार उनकी **साझा व्याकरणिक संरचना** है। दोनों भाषाओं में सामान्य वाक्य-क्रम कर्ता-कर्म-क्रिया (SOV) रहता है, दोनों पश्चसर्गों का प्रयोग करती हैं, और दोनों में क्रिया-रूपों के भीतर काल, पक्ष तथा भाव की संरचना लगभग समान दिखाई देती है। लिंग-वचन सहमति, सर्वनाम प्रणाली और वाक्य-विन्यास की अन्य मूल विशेषताएँ भी व्यापक रूप से साझा हैं (Misra Sharma, 2012)। इस प्रकार भाषिक संरचना के स्तर पर हिंदी और उर्दू के बीच दूरी अपेक्षाकृत सीमित है।

इस संरचनात्मक समानता को संगणकीय अध्ययन भी पुष्ट करते हैं। Prasad और Virk (2012) ने हिंदी और उर्दू के तुलनात्मक विश्लेषण में दिखाया कि दोनों भाषाओं के बीच मुख्य अंतर व्याकरणिक ढाँचे में नहीं, बल्कि शब्दावली के चयन में अधिक दिखाई देता है। उनके अनुसार दोनों भाषाएँ व्याकरणिक रूप से समान प्रकार से कार्य करती हैं—अर्थात् एक ही संरचनात्मक नियमों के भीतर सफल या असफल होती हैं। इससे संकेत मिलता है कि हिंदी-उर्दू की दूरी का मूल कारण भाषिक संरचना नहीं, बल्कि **मानकीकरण की दिशा** है।

यह अंतर विशेष रूप से औपचारिक रजिस्ट्रों में स्पष्ट होता है। औपचारिक हिंदी में संस्कृत-आधारित शब्दावली का अनुपात बढ़ जाता है, जबकि औपचारिक उर्दू में फ़ारसी और अरबी मूल के शब्द अधिक दिखाई देते हैं। इसके विपरीत सामान्य बोलचाल की भाषा में यह विभाजन अपेक्षाकृत कम कठोर रहता है। ज्ञानकोशीय और विश्वविद्यालयीय स्रोत यह संकेत देते हैं कि बोलचाल की हिंदुस्तानी धारा में मिश्रित शब्दावली सामान्य है और पारस्परिक बोधगम्यता व्यापक रूप से बनी रहती है (Britannica Editors, n.d.; University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Asian and Middle Eastern Studies, n.d.)।

इसी संदर्भ में लिपि का अंतर भी पुनर्विचार योग्य हो जाता है। देवनागरी और नस्तअलीक़ दो भिन्न लेखन-पद्धतियाँ अवश्य हैं, पर मौखिक स्तर पर साझा व्याकरण और साझा बोलचाल का आधार बना रहता है। इसलिए हिंदी और उर्दू के बीच भिन्नता को दो पूर्णतः अलग भाषाओं के रूप में देखना भाषिक संरचना की तुलना में मानकीकरण और रजिस्टर की राजनीति को अधिक प्रतिबिंबित करता है। अधिक सटीक रूप में कहा जाए तो हिंदी और उर्दू **साझा हिंदुस्तानी व्याकरण के भीतर विकसित दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्टर** हैं।

**साझा व्याकरणिक संरचना → संगणकीय अध्ययन से संरचनात्मक समानता की पुष्टि → अंतर का केंद्र शब्दावली और औपचारिक रजिस्टर → लिपि और मानकीकरण से दूरी का निर्माण → हिंदुस्तानी के भीतर दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्टर**

## भाषा और रजिस्टर में भेद: विश्लेषण की मूल कसौटी

हिंदी और उर्दू के संबंध पर विचार करते समय सबसे पहली आवश्यकता यह है कि **भाषा (Language)** और **रजिस्टर (Register)** के बीच का अंतर स्पष्ट किया जाए। भाषा उस गहरे संरचनात्मक तंत्र को दर्शाती है जिसमें वाक्य-रचना, व्याकरण, रूप-रचना, क्रिया-प्रणाली, सर्वनाम, लिंग-वचन, और अर्थ-व्यवस्था शामिल होती है। इसके विपरीत रजिस्टर उस सामाजिक और शैलीगत रूपांतर को व्यक्त करता है जिसमें वही भाषिक आधार अलग प्रसंगों, समुदायों, सत्ता-संरचनाओं, या साहित्यिक परंपराओं में अलग शब्दावली और अभिव्यक्ति ग्रहण करता है। हिंदी और उर्दू के मामले में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि रजिस्टरगत अंतर को भाषिक अंतर मान लिया जाता है। यही कारण है कि देवनागरी बनाम नस्तअलीक़, संस्कृतनिष्ठ बनाम फ़ारसी, अरबी-प्रधान शब्दावली, और साहित्यिक परंपरा के अंतर को सीधे दो पृथक भाषाओं का प्रमाण मान लिया जाता है। परंतु भाषावैज्ञानिक कसौटी पर यह निष्कर्ष जल्दबाज़ी है। इसलिए इस पूरे खंड की बुनियादी स्थापना यह है कि हिंदी और उर्दू का संबंध पहले **साझा भाषा-आधार** के रूप में समझा जाए, उसके बाद उनके **पृथक मानकीकृत रजिस्टरों** की चर्चा की जाए।

**भाषा की पहचान का प्रश्न** → संरचना और व्याकरण को प्राथमिक कसौटी बनाना → रजिस्टर को शैलीगत और सामाजिक रूपांतर की तरह पढ़ना → शब्दावली और लिपि के अंतर को द्वितीयक स्तर पर रखना → हिंदी और उर्दू को साझा भाषिक आधार के भीतर समझना

### साझा वाक्य-रचना: हिंदी और उर्दू की संरचनात्मक रीढ़

हिंदी और उर्दू के बीच सबसे मजबूत समानता उनकी **वाक्य-रचना** में दिखाई देती है। दोनों में सामान्य वाक्य-क्रम **कर्ता, कर्म, क्रिया** का रहता है। दोनों भाषिक रूपों में वाक्य-संगठन इस तरह बनता है कि अर्थ का प्रवाह अंत की क्रिया पर टिकता है। दोनों **पञ्चसर्गों** का प्रयोग करती हैं, दोनों में कारक-संबंध लगभग समान तरीके से बनते हैं, और दोनों में वाक्य-विन्यास की मूल आंतरिक व्यवस्था व्यापक रूप से साझा रहती है। यही कारण है कि एक भाषा-रूप का बोलने वाला दूसरे भाषा-रूप को सामान्य बोलचाल के स्तर पर बिना बहुत अधिक कठिनाई के समझ लेता है। Misra Sharma के विश्लेषण में भी यह रेखांकित किया गया है कि हिंदी और उर्दू की संरचनात्मक समानता इतनी गहरी है कि उन्हें अलग भाषा-तंत्र की तरह नहीं, बल्कि साझा व्याकरणिक आधार के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। इस स्तर पर अंतर सीमित है, और जो अंतर है भी वह व्याकरणिक रीढ़ को नहीं तोड़ता।

**समान वाक्य-क्रम** → **समान कारक-संबंध** → **पञ्चसर्गों का साझा प्रयोग** → **वाक्य-विन्यास की निकटता** → **हिंदी और उर्दू की संरचनात्मक एकता**

### क्रिया-तंत्र, लिंग, वचन, सर्वनाम और सहायक क्रियाएँ

साझा संरचना केवल वाक्य-क्रम तक सीमित नहीं है। हिंदी और उर्दू दोनों में **क्रिया-रूपों** का निर्माण, **काल, पक्ष, और भाव** की कार्यप्रणाली, **लिंग-वचन सहमति, सर्वनाम-प्रणाली**, तथा **सहायक क्रियाओं** का व्यवहार अत्यंत निकट है। "मैं गया था", "वह आएगी", "हमने किया", "तुम क्या कर रहे हो" जैसे वाक्य दोनों में समान व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत बनते और समझे जाते हैं। यही साझा संरचना यह सिद्ध करती है कि दोनों के बीच अंतर भाषा की जड़ में नहीं है। Prasad और Virk के संगणकीय अध्ययन भी यही संकेत देते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही प्रकार की व्याकरणिक सफलता और विफलता प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि एक भाषिक संसाधन को दूसरे पर

आरोपित किया जाए, तो संरचनात्मक स्तर पर बहुत अधिक टूटन नहीं आती। इसलिए हिंदी और उर्दू को अलग भाषाएँ कहने की तुलना में उन्हें एक साझा व्याकरणिक तंत्र के दो औपचारिक रूप कहना अधिक भाषिक रूप से संगत है।

**समान क्रिया-रूप** → **समान काल, पक्ष और भाव** → **समान लिंग-वचन सहमति** → **समान सर्वनाम और सहायक क्रिया-प्रणाली** → **साझा व्याकरणिक रीढ़ की पुष्टि**

### बोलचाल की हिंदुस्तानी: जनता की वास्तविक आधार-भाषा

यदि हिंदी और उर्दू का प्रश्न केवल औपचारिक साहित्यिक रूपों तक सीमित न रखकर जनजीवन में देखा जाए, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। दैनिक जीवन की भाषा न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी होती है और न अत्यधिक फ़ारसी, अरबी-प्रधान उर्दू। सामान्य सामाजिक व्यवहार में एक ऐसी साझा भाषा चलती है जो इन दोनों का जमीनी संगम है। यही ऐतिहासिक रूप से **हिंदुस्तानी** कही गई। सामान्य बोलचाल के वाक्य, संवाद, संबोधन, प्रश्न, उत्तर, मुहावरे, और रोज़मर्रा के शब्द-संग्रह में यह साझा आधार आज भी देखा जा सकता है। विश्वविद्यालयीय तथा ज्ञानकोशीय स्रोत भी यह संकेत देते हैं कि बोलचाल के स्तर पर पारस्परिक बोधगम्यता व्यापक रूप से बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि जनता की संप्रेषणीय भाषा पहले से साझा है, जबकि बाद का कठोर विभाजन प्रायः साहित्यिक शुद्धतावाद और मानकीकरण में उभरता है। इसलिए हिंदी और उर्दू के पृथक्करण का स्रोत लोक-भाषा नहीं, बल्कि औपचारिक भाषा-निर्माण की प्रक्रिया है।

**जनजीवन की साझा बोलचाल** → **संस्कृतनिष्ठ और फ़ारसीनिष्ठ अतियों से दूरी** → **मिश्रित व्यवहारिक भाषा का निर्माण** → **हिंदुस्तानी की सामाजिक उपस्थिति** → **लोक-स्तर पर भाषिक एकता की पुष्टि**

### शब्द-भंडार का अंतर: संरचनात्मक नहीं, शैलीगत भिन्नता

हिंदी और उर्दू के बीच जो सबसे अधिक दिखाई देने वाला अंतर है, वह **शब्द-भंडार** का अंतर है। हिंदी के औपचारिक रूप में संस्कृत-आधारित शब्द अधिक दिखाई देते हैं, जबकि उर्दू के औपचारिक रूप में फ़ारसी और अरबी स्रोतों से आए शब्द अधिक प्रचलित होते हैं। लेकिन यह अंतर भाषा-ढाँचे का नहीं, बल्कि **शैलीगत चयन** का है। "प्रयास" और "कोशिश", "समस्या" और "मसला", "आवश्यक" और "ज़रूरी" अर्थ में निकट हैं और व्याकरणिक व्यवहार में भी समान हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्नता शब्द-स्रोत की है, वाक्य-विन्यास की नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ भाषिक विश्लेषण और सांस्कृतिक आग्रह अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं। सांस्कृतिक आग्रह शब्दावली के अंतर को भाषाई दूरी बना देता है, जबकि भाषिक विश्लेषण बताता है कि साझा व्याकरण के भीतर अलग शब्दावली-संसार भी संभव है। इसलिए हिंदी और उर्दू के अंतर का सबसे सही वर्णन यह होगा कि वे **एक ही व्याकरणिक तंत्र के भीतर अलग शब्दावली-रजिस्टर** हैं।

**साझा व्याकरण** → **शब्द-स्रोत में अंतर** → **औपचारिक शब्दावली का पृथक्करण** → **शैलीगत दूरी का उभार** → **भाषिक नहीं, रजिस्टरगत भिन्नता का निर्माण**

### लिपि का अंतर: भाषा नहीं, लेखन-पद्धति का अंतर

हिंदी और उर्दू के पृथक्करण में **लिपि** को बहुत बड़े प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी की देवनागरी और उर्दू की फ़ारसी-नस्तअलीक़ लिपि दृश्य रूप में बहुत भिन्न दिखाई देती हैं। परंतु लिपि और भाषा एक ही चीज़ नहीं हैं। लिपि लेखन का

माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति का आंतरिक तंत्र। एक ही भाषिक आधार विभिन्न लिपियों में व्यक्त हो सकता है। हिंदी और उर्दू के मामले में भी मौखिक स्तर पर साझा व्याकरण और साझा बोलचाल बनी रहती है। इसलिए लिपि का अंतर व्याकरणिक पृथकता सिद्ध नहीं करता। हाँ, यह सांस्कृतिक स्मृति, साहित्यिक परंपरा, और समुदायगत पहचान का वाहक अवश्य बन जाता है। यही कारण है कि लिपि का प्रश्न विशुद्ध भाषावैज्ञानिक से अधिक सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्त्व ग्रहण करता है। परंतु फिर भी इसे भाषा-भेद का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता।

**भिन्न लेखन-पद्धति → दृश्य और सांस्कृतिक अंतर → मौखिक स्तर पर साझा संरचना का बने रहना → लिपि को पहचान-चिह्न की तरह पढ़ना → भाषा और लेखन-पद्धति के अंतर को स्पष्ट करना**

**ऐतिहासिक मानकीकरण: साझा आधार से पृथक साहित्यिक दिशाओं तक**

उत्तर भारत की **खड़ी बोली** ने लंबे ऐतिहासिक संपर्क, मिश्रण, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के भीतर अपना स्वरूप ग्रहण किया। इसी साझा आधार से आगे चलकर दो साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दिशाएँ अधिक स्पष्ट हुईं। एक दिशा ने देवनागरी और संस्कृत-प्रधान शब्दावली को अधिक प्रतिष्ठा दी, दूसरी दिशा ने नस्तअलीक़ तथा फ़ारसी, अरबी शब्दावली को। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह विभाजन पहले भाषा-तंत्र में नहीं, बल्कि बाद में **साहित्यिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक मानकीकरण** में उभरा। अर्थात् जो चीज़ पहले साझा बोलचाल और साझा व्याकरण के रूप में उपस्थित थी, वह धीरे-धीरे अलग नामों, अलग लिपियों, और अलग सांस्कृतिक ध्वनियों में संयोजित की गई। इसीलिए हिंदी और उर्दू के संबंध को मूलभूत भाषिक विभाजन के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा आधार के ऐतिहासिक रूप से पृथक मानकीकरण के रूप में पढ़ना चाहिए।

**खड़ी बोली का साझा आधार → दीर्घ सांस्कृतिक संपर्क → मिश्रित भाषिक विकास → पृथक साहित्यिक दिशाओं का उभार → मानकीकरण द्वारा हिंदी और उर्दू के पृथक रूपों का निर्माण**

**एक भाषिक आधार, दो मानकीकृत रजिस्टर**

ऊपर के सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखने पर निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है। हिंदी और उर्दू को दो पूर्णतः असंबद्ध भाषाएँ मानना भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अतिसरलीकरण है। उनकी साझा वाक्य-रचना, साझा क्रिया-तंत्र, साझा सर्वनाम-प्रणाली, साझा बोलचाल, और व्यापक पारस्परिक बोधगम्यता यह स्थापित करती है कि दोनों एक ही भाषिक आधार से संबद्ध हैं। इनके बीच अंतर मुख्यतः **शब्द-भंडार, औपचारिक रजिस्टर, लिपि, साहित्यिक परंपरा, और सांस्कृतिक मानकीकरण** में है। इसलिए अधिक सटीक कथन यह होगा कि हिंदी और उर्दू, साझा हिंदुस्तानी भाषिक आधार के भीतर विकसित दो **मानकीकृत रजिस्टर** हैं। यही स्थापना आगे उस बड़े प्रश्न की ओर ले जाती है कि जब भाषा का जनाधार हिंदुस्तानी था, तब बाद की राज्य-नीति और अनुच्छेद 351 के तहत संस्कृतनिष्ठ हिंदी का निर्माण किस प्रकार आम जनजीवन से दूरी बनाता गया।

**भाषा और रजिस्टर का भेद स्पष्ट करना → साझा व्याकरणिक आधार की पहचान → साझा वाक्य-रचना, क्रिया-तंत्र, लिंग, वचन और सर्वनाम की समानता → साझा बोलचाल और पारस्परिक बोधगम्यता की पुष्टि → हिंदुस्तानी की सामाजिक उपस्थिति को समझना → शब्द-भंडार का शैलीगत और औपचारिक विभाजन → लिपि को लेखन-**

**पद्धति तथा पहचान-चिह्न की तरह पढ़ना → खड़ी बोली से सांस्कृतिक और साहित्यिक मानकीकरण तक पहुँचना → हिंदी और उर्दू के पृथक नामों और रूपों का निर्माण → एक ही भाषिक आधार के दो मानकीकृत रजिस्टर के रूप में निष्कर्षित करना**

**हिंदुस्तानी का ऐतिहासिक स्वरूप और गांधी की दृष्टि**

हिंदी और उर्दू के संबंध को समझने के लिए हिंदुस्तानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को केंद्र में रखना आवश्यक है। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार हिंदुस्तानी उत्तर भारत के व्यापक संपर्क-क्षेत्रों में विकसित हुई एक संप्रेषणात्मक भाषा-धारा थी। इसकी व्याकरणिक रीढ़ खड़ी बोली से निर्मित हुई, पर इसकी शब्द-संपदा खुली और मिश्रित रही। इसने फ़ारसी से शब्द उधार लिए, स्थानीय बोलियों और भाषाओं से रूप ग्रहण किए, और विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचकर नए भाषिक रूपों में ढलती रही। दक्खिनी इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, जो यह दिखाता है कि यह भाषिक परंपरा किसी बंद या शुद्धतावादी संरचना पर आधारित नहीं थी, बल्कि निरंतर संपर्क और अनुकूलन की प्रक्रिया से विकसित होती रही (Britannica Editors, n.d.)। यही ऐतिहासिक लचीलापन आगे चलकर हिंदी और उर्दू के औपचारिक मानकीकरण के नीचे सक्रिय साझा आधार के रूप में कार्य करता रहा।

गांधी की भाषा-दृष्टि इसी साझा भाषिक आधार को स्पष्ट रूप से पहचानती है। 1925 में लिखे अपने लेखों में उन्होंने ऐसी भाषा की आवश्यकता पर बल दिया जो व्यापक जनसमुदाय द्वारा समझी और व्यवहार में लाई जा सके, और इस भूमिका के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी को उपयुक्त माना (Gandhi, 1925)। 1947 में उन्होंने इस विचार को और स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि हिंदुस्तानी को अंतर-प्रांतीय संप्रेषण की भाषा बनाना है, तो नागरी और उर्दू दोनों लिपियों को स्वीकार करना आवश्यक होगा; किसी एक लिपि को राजकीय मान्यता देकर दूसरी को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं होगा (Gandhi, 1947)। गांधी के लिए यह प्रश्न केवल भाषिक संरचना का नहीं था। उनके दृष्टिकोण में भाषा साझा सार्वजनिक जीवन, पारस्परिक संप्रेषण और विभिन्न समुदायों के बीच सम्मानजनक सह-अस्तित्व का माध्यम भी थी।

इस परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तानी को उन्होंने किसी समझौता-शब्द के रूप में नहीं, बल्कि साझा सामाजिक व्यवहार की व्यावहारिक भाषा के रूप में देखा। यही कारण है कि बाद में विकसित हुए कठोर भाषिक मानकीकरण—जिसमें हिंदी और उर्दू को अलग-अलग औपचारिक रूपों में संस्थागत किया गया—को बोलचाल की इस साझा धारा से एक प्रकार की दूरी के रूप में भी समझा जा सकता है।

**संपर्क-क्षेत्रों में हिंदुस्तानी का विकास → खड़ी बोली आधारित साझा व्याकरण → मिश्रित और अनुकूलनशील शब्द-संपदा → गांधी द्वारा साझा जनभाषा के रूप में समर्थन → दोनों लिपियों की स्वीकृति का प्रस्ताव → बाद के कठोर मानकीकरण से साझा धारा की दूरी**

**संविधान सभा से संविधान तक**

संविधान सभा की प्रारंभिक कार्यवाही यह संकेत देती है कि भाषा का प्रश्न आरंभ में व्यावहारिक संप्रेषण और बहुभाषिक यथार्थ के संदर्भ में देखा जा रहा था। 21 दिसंबर 1946 को पारित नियम 18 में यह प्रावधान दर्ज किया गया कि सभा का कार्य हिंदुस्तानी—अर्थात् हिंदी या उर्दू—तथा अंग्रेज़ी में चल सकता है और आधिकारिक अभिलेख हिंदुस्तानी तथा अंग्रेज़ी में रखे जाएँगे (Constituent Assembly of India, 1946)। यह व्यवस्था

केवल प्रशासनिक सुविधा का उपाय नहीं थी; यह इस तथ्य की स्वीकारोक्ति भी थी कि तत्कालीन भारतीय समाज में हिंदुस्तानी व्यापक संपर्क-भाषा के रूप में कार्य कर रही थी। इस चरण में भाषा-प्रश्न को शुद्धतावादी आग्रह के बजाय व्यावहारिक बहुभाषिकता के भीतर समझा जा रहा था।

किन्तु 1949 तक आते-आते यह प्रश्न अधिक राजनीतिक और प्रतीकात्मक रूप लेने लगा। विभाजन की पृष्ठभूमि, पहचान-आधारित तनाव और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया ने भाषा को सांस्कृतिक और वैचारिक प्रतीक में बदल दिया। 12 सितंबर 1949 की बहसों में यह आशंका व्यक्त की गई कि हिंदुस्तानी से हिंदी की ओर झुकाव केवल भाषिक सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया और वर्चस्व की प्रवृत्ति से भी जुड़ सकता है (Constituent Assembly of India, 1949a)। 14 सितंबर 1949 की चर्चाओं में हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाए रखने के पक्ष में तर्क भी सामने आए और यह चिंता भी व्यक्त की गई कि अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी सामान्य जनता के लिए कठिन सिद्ध हो सकती है (Constituent Assembly of India, 1949b)। इसके बावजूद संवैधानिक परिणति देवनागरी हिंदी के पक्ष में हुई। यहीं वह ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ साझा बोलचाल की हिंदुस्तानी धारा की अपेक्षा एक अधिक चिह्नित और संस्थागत भाषा-रूप को वैधानिक मान्यता मिली।

संविधान के अनुच्छेद 343 ने संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी को घोषित किया। इसके साथ ही अनुच्छेद 351 ने हिंदी के विकास के लिए निर्देश देते हुए उसकी शब्दावली-निर्माण की दिशा मुख्यतः संस्कृत की ओर निर्धारित की, यद्यपि उसमें हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं से रूप, शैली और अभिव्यक्ति ग्रहण करने की बात भी जोड़ी गई (Ministry of External Affairs, n.d.)। यही दोहरा निर्देश इस भाषा-नीति का सबसे जटिल पक्ष बन जाता है। एक ओर राज्य हिंदी को व्यापक भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहता है, दूसरी ओर उसकी औपचारिक शब्दावली को संस्कृत-आधारित दिशा में मोड़ देता है। परिणामस्वरूप बोलचाल की साझा भाषा और राज्य की आधिकारिक भाषा के बीच एक संभावित दूरी उत्पन्न होती है, जो आगे चलकर प्रशासनिक व्यवहार और सार्वजनिक बोधगम्यता के स्तर पर भी दिखाई देती है।

**संविधान सभा में हिंदुस्तानी की कार्य-भाषा के रूप में स्वीकृति → विभाजन और राष्ट्र-निर्माण की राजनीति से भाषा का प्रतीकीकरण → हिंदी बनाम हिंदुस्तानी पर तीखी बहस → संविधान में देवनागरी हिंदी का संस्थाकरण → अनुच्छेद 351 द्वारा संस्कृत-आधारित शब्दावली की दिशा → बोलचाल की भाषा और आधिकारिक भाषा के बीच बढ़ती दूरी**

**अंग्रेज़ी की निरंतरता और लोकतांत्रिक बोधगम्यता**

यदि भाषा-नीति का प्रश्न केवल हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच सीमित रहता, तब भी उसका महत्व कम नहीं होता; किंतु भारतीय संदर्भ में एक तीसरा तत्व—अंग्रेज़ी—भी इस संरचना में निर्णायक रूप से उपस्थित रहा। संविधान के अनुच्छेद 348 ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विधायी प्राधिकारिक पाठों के लिए अंग्रेज़ी को केंद्रीय स्थान प्रदान किया (Ministry of External Affairs, n.d.)। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 ने यह सुनिश्चित किया कि संघ के आधिकारिक कार्यों में अंग्रेज़ी हिंदी के साथ जारी रह सके (Department of Official Language, n.d.)। न्याय विभाग की आधिकारिक व्याख्या के अनुसार आज भी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेज़ी में संचालित होती है और इस स्थिति में व्यापक परिवर्तन के लिए संसद द्वारा कोई पृथक विधायी कदम नहीं उठाया गया है (Department of

Justice, Government of India, 2022)। इस प्रकार अंग्रेज़ी केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था का साधन नहीं रही; उसने विधि, प्रशासन और उच्च संस्थागत क्षेत्रों में अपनी संरचनात्मक उपस्थिति बनाए रखी।

इस स्थिति के लोकतांत्रिक निहितार्थ गहरे हैं। एक ओर आधिकारिक हिंदी का अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ रूप सामान्य बोलचाल की भाषा से दूरी बना सकता है, दूसरी ओर अंग्रेज़ी विधिक और प्रशासनिक शक्ति के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित रहती है। परिणामस्वरूप साझा सामाजिक संग्रहण की भाषा को पूर्ण राजकीय केंद्र नहीं मिलता, और राजकीय भाषाएँ भी व्यापक नागरिक समुदाय तक समान रूप से नहीं पहुँच पातीं। भाषा और शिक्षा पर किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जब अंग्रेज़ी सामाजिक अवसर, प्रतिष्ठा और संस्थागत पहुँच की भाषा बन जाती है, तब भाषिक असमानता धीरे-धीरे शैक्षिक और सामाजिक असमानता में परिवर्तित हो सकती है (Mohanty, 2009/2015)। इसी दिशा में Boruah और Mohanty (2022) इंगित करते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी माध्यम का विस्तार बहुभाषिक नीति के भीतर एक गहरे संरचनात्मक तनाव को दर्शाता है।

इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी-उर्दू का प्रश्न केवल ऐतिहासिक भाषिक बहस नहीं रह जाता। यह उस व्यापक संरचना से जुड़ जाता है जिसमें **साझा बोधगम्यता, राजकीय भाषा और सामाजिक अवसर** के बीच संबंध निर्मित होते हैं। इसलिए भाषा-नीति का विश्लेषण केवल मानकीकरण या संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं रह सकता; उसे यह भी देखना होगा कि भाषिक विकल्प नागरिकों की वास्तविक पहुँच, भागीदारी और अवसर-संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

**संविधान में अनुच्छेद 348 द्वारा अंग्रेज़ी की संस्थागत स्थिति → राजभाषा अधिनियम 1963 से सह-अधिकारिक निरंतरता → न्यायपालिका और उच्च प्रशासन में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व → संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच संस्थागत द्वंद्व → साझा बोधगम्यता की सीमाएँ → भाषिक असमानता का शैक्षिक और सामाजिक असमानता में रूपांतरण**

**निष्कर्ष**

इस अध्ययन से तीन प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, हिंदी और उर्दू के बीच गहरा **साझा व्याकरणिक आधार** मौजूद है। वाक्य-रचना, क्रिया-प्रणाली, सर्वनाम-व्यवस्था और बोलचाल की संरचना में व्यापक समानता यह संकेत देती है कि उन्हें पूर्णतः पृथक भाषाओं के रूप में देखने की अपेक्षा **हिंदुस्तानी के दो मानकीकृत शब्दावली-रजिस्ट्रों** के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। इनके बीच वास्तविक अंतर मुख्यतः लिपि, उच्च रजिस्टर की शब्दावली और सांकेतिक पहचान के स्तर पर तीखा होता है, जबकि सामान्य संग्रहण का आधार व्यापक रूप से साझा रहता है (Misra Sharma, 2012; Prasad & Virk, 2012)।

दूसरा, हिंदुस्तानी का ऐतिहासिक विकास और गांधी की भाषा-दृष्टि दोनों इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि साझा संग्रहण की भाषाएँ स्वभावतः मिश्रित, खुली और अनुकूलनशील होती हैं। ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तानी ने विविध भाषिक स्रोतों से शब्द और रूप ग्रहण किए और संपर्क-क्षेत्रों में एक व्यवहारिक जनभाषा के रूप में विकसित हुई। गांधी ने भी इसी कारण हिंदुस्तानी को व्यापक सामाजिक संग्रहण की भाषा के रूप में देखा और दोनों लिपियों की स्वीकृति का समर्थन किया (Britannica Editors, n.d.; Gandhi, 1925, 1947)। यह दृष्टि इस बात की ओर संकेत करती है कि कठोर भाषिक शुद्धतावाद

साझा भाषिक जीवन की लचीली प्रकृति को सीमित कर सकता है।

तीसरा, संविधान-निर्माण की प्रक्रिया यह दिखाती है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदुस्तानी को प्रक्रियात्मक स्वीकृति मिलने के बावजूद अंतिम संवैधानिक व्यवस्था ने देवनागरी हिंदी को राजभाषा के रूप में संस्थागत किया और साथ ही अंग्रेज़ी को भी विधि, प्रशासन और उच्च संस्थागत क्षेत्रों में बनाए रखा (Constituent Assembly of India, 1946, 1949b; Ministry of External Affairs, n.d.; Department of Official Language, n.d.)। इस प्रकार भाषा-नीति का वास्तविक ढाँचा एक ऐसे त्रिकोण में विकसित हुआ जिसमें हिंदी का औपचारिक मानकीकरण, अंग्रेज़ी की संस्थागत निरंतरता और हिंदुस्तानी का साझा बोलचाल-आधार तीनों एक साथ उपस्थित हैं।

**साझा व्याकरणिक आधार → मानकीकरण से शब्दावली और लिपि का विभाजन → हिंदुस्तानी की ऐतिहासिक और गांधीवादी संप्रेषण-परंपरा → संविधान में देवनागरी हिंदी का संस्थाकरण → अंग्रेज़ी की संस्थागत निरंतरता → भाषा-नीति का त्रिकोण: हिंदुस्तानी आधार + हिंदी मानकीकरण + अंग्रेज़ी संरचना**

इसी कारण भारत की भाषा-नीति को केवल हिंदी बनाम उर्दू के द्वंद्व में समझना पर्याप्त नहीं है। इसे साझा हिंदुस्तानी आधार, लोकतांत्रिक बोधगम्यता और अंग्रेज़ी की संरचनात्मक निरंतरता के त्रिकोण के भीतर पढ़ना अधिक सार्थक है। यही विश्लेषण आगे ऐसी प्रशासनिक और शैक्षिक भाषा-नीति की संभावना खोल सकता है जो संप्रेषण की वास्तविकता के अधिक निकट हो और लोकतांत्रिक पहुँच के दृष्टिकोण से अधिक समावेशी सिद्ध हो। नीचे इसी बात को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

### हिन्दी और उर्दू, एक ही जुबान के दो नाम

1. हिन्दी और उर्दू, दो नाम सही,  
पर जड़ में दोनों की बात वही।  
एक ही धरती, एक ही राग,  
एक ही जीवन, एक ही भाग।
2. साम्प्रदायिक आग ने आकर  
भाषा पर भी दाग लगाया,  
एक को हिन्दू से जोड़ दिया,  
दूजी को मुसलमान का बतलाया।
3. जबकि भाषा का रिश्ता देखो,  
मजहब से इतना बंधता नहीं,  
भाषा तो चलती है लोगों से,  
मिट्टी से, मिलने से, रोज़मर्रा से।
4. लफ़्ज़ हवा के झोंकों जैसे,  
आते जाते रहते हैं,  
एक भाषा से दूसरी भाषा में  
हँसते-हँसते बसते हैं।
5. कोई कहे कोशिश, कोई प्रयास,  
कोई कहे मसला, कोई बात,  
शब्द बदलें तो क्या होता है,  
एक ही रहती, भीतर की जात।
6. देवनागरी में लिख दो हिन्दी,  
नस्तालीक़ में लिख दो उर्दू,  
यह तो है मूर्खों की बात,  
लिपि से कब बँटती, जुबा की जात।

7. जुबान का रिश्ता लिपि से कहीं,  
इसके सगे व्याकरण, बोल और रूप।  
एक भाषा को लिखो हज़ार लिपि में,  
इससे नहीं बदलता उसका स्वरूप।
8. लिपि तो बस लिखने का साधन,  
बात पहुँचाने का एक उपाय,  
लिपि बदलने से कब बदलती  
भाषा की जड़, भाषा की काया।
9. व्याकरण की चाल वही रहती,  
वाक्य वही, अंदाज़ वही,  
कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आती,  
बुनियाद दोनों की एक ही रही।
10. कोई कहे ज़रूरी, कोई आवश्यक,  
कोई कहे मसला, कोई बात,  
शब्दों के रस्ते चाहे बदलें,  
अर्थ वहीं रहता दिन और रात।
11. जनता की बोली साफ़ बताती,  
सच क्या है, पहचान लो तुम,  
न कठिन संस्कृतनिष्ठ ही हिन्दी,  
न भारी फ़ारसीनिष्ठ उर्दू हरदम।
12. लोगों के बीच जो भाषा बहती,  
मिल-जुल कर जो रहती है,  
वही हिन्दवी, वही हिन्दुस्तानी,  
जो सबके मन में बसती है।
13. भाषा का रिश्ता मजहब से कम,  
लोगों, भूगोल और जीवन से है,  
जो जुबान दिलों को जोड़ सके,  
असल में वही अपनी है।
14. हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी को  
झगड़े में मत यूँ बाँटो तुम,  
नाम अलग हों, जड़ एक रहे,  
इतना सा सच पहचानो तुम।

### संदर्भ सूची

1. Boruah, P., & Mohanty, A. (2022). English medium education in India: The neoliberal legacy and challenges to multilingual language policy implementation. In A. Jalalian Daghig, J. Mohd Jan, & S. Kaur (Eds.), *Neoliberalization of English language policy in the global South* (pp. 51-71). Springer. <https://ajitmohanty.org/docs/1/2.pdf>
2. Britannica Editors. (n.d.). Hindustani language. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Hindustani-language>
3. Constituent Assembly of India. (1946, December 21). Constituent Assembly debates: Business in Hindustani (Hindi or Urdu) or English; official records in Hindustani and English. [https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/762965/1/cad\\_21-12-1946.pdf](https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/762965/1/cad_21-12-1946.pdf)
4. Constituent Assembly of India. (1949a, September 12). Constituent Assembly debates: Language discussion and the turn from Hindustani to Hindi.

- [https://bombayhighcourt.gov.in/bhc/libweb/misc/coi/constitution/assemblyDebate/pages/Page\\_1688548342\\_12-09-1949%20Page%20No%201314-1348.pdf](https://bombayhighcourt.gov.in/bhc/libweb/misc/coi/constitution/assemblyDebate/pages/Page_1688548342_12-09-1949%20Page%20No%201314-1348.pdf)
5. Constituent Assembly of India. (1949b, September 14). Constituent Assembly debates: Debate on amendments concerning Hindustani and Hindi. [https://sansad.in/uploads/const\\_Assmby\\_Debates\\_Volume9\\_14\\_September1949\\_d494392d14.pdf](https://sansad.in/uploads/const_Assmby_Debates_Volume9_14_September1949_d494392d14.pdf)
  6. Department of Justice, Government of India. (2022, March 17). Use of Hindi and regional languages. <https://doj.gov.in/use-of-hindi-and-regional-languages/>
  7. Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. (n.d.). The Official Languages Act, 1963. <https://rajbhasha.gov.in/en/official-languages-act-1963>
  8. Gandhi, M. K. (1925, August 27). A common script. Young India. In The Collected Works of Mahatma Gandhi. [https://www.gandhipedia150.in/static/data/highlighted\\_pdfs\\_output/tagore\\_volume28\\_book\\_67.pdf](https://www.gandhipedia150.in/static/data/highlighted_pdfs_output/tagore_volume28_book_67.pdf)
  9. Gandhi, M. K. (1947, November 9). Hindustani written in Nagari only. Harijan Sevak. In The Collected Works of Mahatma Gandhi. [https://www.gandhipedia150.in/static/data/highlighted\\_pdfs\\_output/Fasts\\_volume89\\_book\\_437.pdf](https://www.gandhipedia150.in/static/data/highlighted_pdfs_output/Fasts_volume89_book_437.pdf)
  10. Ministry of External Affairs, Government of India. (n.d.). The Constitution of India: Part XVII, Official Language. <https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part17.pdf>
  11. Misra Sharma, D. (2012, December 8). Introduction to morphology, syntax and lexical semantics of Hindi and Urdu. COLING 2012 tutorial slides. [https://verbs.colorado.edu/hindiurdu/tutorial\\_slides/2-hindi-urdu-linguistics-dipti.pptx.pdf](https://verbs.colorado.edu/hindiurdu/tutorial_slides/2-hindi-urdu-linguistics-dipti.pptx.pdf)
  12. Mohanty, A. (2009/2015). Multilingualism, education, English and development: Whose development? <https://ajitmohanty.org/docs/2/1.pdf>
  13. Prasad, K. V. S., & Virk, S. M. (2012). Computational evidence that Hindi and Urdu share a grammar but not the lexicon. In Proceedings of COLING 2012 (SANLP Workshop). <https://aclanthology.org/W12-5001.pdf>
  14. University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Asian and Middle Eastern Studies. (n.d.). Hindi-Urdu. <https://asianstudies.unc.edu/hindi-urdu/>